

फरद अहकाम
बनाम V/S श्री राम कोइरह

न्यायालय
संख्या



150/2007

दावा

दिनांक आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण



साइल

30-5-18 फावली (जालु) के
अदालत व्याप आपके डा
2018 केस आरक्षण के
पेश हुई पश्चात उपरि
उस उपरि पश्चात के
राजीनामा हे प्रकार सिखाए
वस्तु सामान्य के गरी
पश्चात के राजीनामा पेश
कहे कि। फावली गल
आदेश की पालना में जाने
वस्तु दरख्यात 06 R17 CPC
व वस्तु गौका रिपोर्ट
नसीलदा विमान दिनांक
14-6-18 को पेश हो।



कि सपुए


पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उत्पल्लव- विराटनगर (जयपुर)

14-6-18 फावली उत्पल्लव के निवेदन
पर राजस्व लोक अदालत व्याप
आपके डा-2018 केस को
गोठपुर के पेश हुई पश्चात
आपके अधिवक्ता गण
उपरि उस पश्चात के
आपके राजीनामा होने
कि सिखाए जाते किपा गया

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाटनगर (जम्पुर)
केस संख्या 150/2007

दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
-------------	---------------------------	----------------------	----------



आदि जम्पुर

कि कोई

कि इसकी उर्फ
दइकली
Identified
to Plaintiff
14/6/18



एवं प्रार्थना पत्र वाचन
रजिनामा पेश किया गया
जो शांति रहे पसकान
व अधिवक्तागणों को जमाना
ए आदि के पुत्र गया।
उमप्रपक्षों वाद गुन आजादी
सद्वन से परिवारवादी के पुत्रों
के नाम दर्ज रिकार्ड होने व
विपक्ष के आधा पत्र परिवारी
गत के नाम दर्ज होने से आपसी
रजिनामा के आधा पत्र वारीगत
के एक से रिकार्ड उभारी या
रजिस्ट्री का रिपे जाने की
सहमती दी आपसी रजामती
से उमप्रपक्षों ने परिवारी से
वारीगत के एक से रजिस्ट्री
कावाने की सहमती दी गयी
जैसी रजिस्ट्री ने प्रमाण को
आगे न्यलाये जाने का कोई
औचित्य नहीं है जहाँ से
प्रमाण रजिनामा के आधा पत्र
विकारी किया जाता है पत्रावली
प्रसल पुनः एक दाखिल दस्ता
के विषय भजामा ए आदि के पुत्रागणों

कि
साधु
राम